संख्या-35/657/58-2-2014-300(18)/2013

प्रेषक,

विजय प्रताप सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊ::दिनांक: 04 अगस्त, 2014**

विषय:- अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में खाद्य प्रसंस्करण शाखा में वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0-180689 हजार को अवमुक्त किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-102/बजट-आयोजनेत्तर/2014-15, दिनांक: 09.07.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त के संबध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत अयोजनेत्तर पक्ष में खाद्य प्रसंस्करण शाखा के लिए प्राविधानित धनराशि रू0'-27,11,54 हजार के सापेक्ष पूर्व में 4/12 भाग के पारित लेखानुदान हेतु शासनादेश संख्या-30/293/58-2-2014-300(18)/2013, दिनांक- 09/04/2014 से अवमुक्त की गयी धनराशि रू0-90479 हजार के क्रम में मुख्य लेखाशीर्षकवार धनराशि रू0-180689 हजार भारित सहित (रूपये अठठारह करोड़ छः लाख नवासी हजार मात्र) को निम्नानुसार अवमुक्त कर आपके निर्वतन पर रखते हुए नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

अनुदान संख्या-10 **(धनराशि हजार रूपये में)**

क्र0 सं0	**लेखाशीर्षक /योजना का नाम**	**कोड सं0 /मद का नाम**		**वित्तीच वर्ष 2014-15 के लिए अनुदान**	**वर्ष के प्रथम चार माहों (4/12 भाग) हेतु अवमुक्त की जा चुकी धनराशि**	**अतिरिक्त अवमुक्त की जा रही धनराशि**
1	**2**	**3**		**4**	**5**	
1	2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-	01.	वेतन	112599	37533	75066
		02.	मजदूरी	618	206	412
		03.	महँगाई भत्ता	118229	39410	78819
		04.	यात्रा व्यय	750	250	500

.....2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

	04-फल- 0409-खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना	05.	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	315	105	210
		06.	अन्य भत्ते	13000	4333	8667
		08.	कार्यालय व्यय	545	181	364
		09.	विद्युत देय	1200	400	800
		10.	जलकर/जल प्रभार	210	70	140
		11.	लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	210	70	140
		12.	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	105	35	70
		13.	टेलीफोन पर व्यय	100	33	67
		16.	व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	58	19	39
		17.	किराया उप शुल्क और कर स्वामित्व	2300	833	1467
		18.	प्रकाशन	95	35	60
		29.	अनुरक्षण	500	168	332
		42.	अन्य व्यय -मतदेय	315	105	210
			भारित	25	8	17
		43.	सामग्री और सम्पूर्ति	1050	350	700
		44.	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	400	133	267
		45.	अवकाश यात्रा व्यय	140	50	90
		47.	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	75	25	50
		49.	चिकित्सा व्यय	1500	500	1000
			योग -0409 मददेय	**254314**	**84844**	**169470**
			भारित	**25**	**8**	**17**
2	0412-फूड एक्सपो, मेले, प्रदर्शनी आदि का आयोजन	42.	अन्य व्यय	100	**33**	**67**
			योग -0412	**100**	**33**	**67**
3	0413-ई-गर्वेस तथा डाटा बेस का सुदृढ़ीकरण	46.	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	800	267	533
			योग -0413	**800**	**267**	**533**
4	0415-कृषि विविधीकरण परियोजना के अन्तर्गत स्थापित केन्द्रों का संचालन	44.	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1150	**384**	**766**
			योग -0415	**1150**	**384**	**766**
			योग -2401 मतदेय	**256364**	**85528**	**170836**
			भारित	**25**	**8**	**17**

.....3/-

http://shasanadesh.up.nic.in

2	2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-आयोजनेत्तर- 80-सामान्य- 004-अनुसंधान- 07-राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रौद्योगिकी संथान	01.	वेतन	6447	2149	4298
		02.	मजदूरी	50	16	34
		03.	महँगाई भत्ता	6769	2256	4513
		04.	यात्रा व्यय	120	40	80
		06.	अन्य भत्ते	515	172	343
		08.	कार्यालय व्यय	52	20	32
		09.	विद्युत देय	50	17	33
		10.	जलकर/जल प्रभार	10	3	7
		11.	लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	35	13	22
		12.	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	20	7	13
		13.	टेलीफोन पर व्यय	30	10	20
		15.	गाड़ियों का अनुरक्षण व पेट्रोल आदि की खरीद	50	17	33
		29.	अनुरक्षण	70	23	47
		42.	अन्य व्यय	100	33	67
		43.	सामग्री और सम्पूर्ति	12	4	8
		44.	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	25	8	17
		45.	अवकाश यात्रा व्यय	10	7	3
		49.	चिकित्सा व्यय	400	134	266
			योग-07	**14765**	**4929**	**9836**
			योग-2415	**14765**	**4929**	**9836**
			बृहद् योग-मतदेय	**271129**	**90457**	**180672**
			भारित	**25**	**8**	**17**
			बृहद् योग-राजस्व	**271154**	**90465**	**180689**

(धनराशि रूपये-अठठारह करोड़ छः लाख नवासी हजार मात्र)

3. वित्तीय वर्ष 2014-15 में लेखानुदान द्वारा प्राविधानित लेखाशीर्षक-2401-119-04-0409-खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना के मानक मद 51-वर्दी मद में धनराशि रू0-41 हजार की व्यवस्था उपलबध थी जिसके सापेक्ष शासनादेश संख्या-30/293/58-2-2014-300(18)/2013, दिनांक- 09/04/2014 द्वारा धनराशि रू0-14 हजार को अवमुक्त किया गया था, किन्तु मूल आय-व्ययक प्राविधान में प्रश्नगत योजना में प्राविधान शून्य हो गया है। अतः उक्त मद में लेखानुदान द्वारा रू0-14 हजार का उपयोग निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा नहीं किया गया है। उक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित कुल धनराशि रू0-271154 के सापेक्ष पूर्व में वास्तविक रूप से लेखानुदान द्वारा उपयोग की गयी धनराशि रू0-90465 हजार के क्रम में अवशेष धनराशि रू0-180689 हजार अवमुक्त की जा रही है।

.....4/-

http://shasanadesh.up.nic.in

4. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिनके लिये धनराशि स्वीकृत है। जहां आवश्यकता हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् ही व्यय किया जायेगा।

5. उक्त धनराशि का व्यय स्वीकृति की प्रत्याशा में कदापि न किया जाए।

6. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार नियन्त्रक अधिकारी के नियन्त्रण में किया जायेगा।

7. स्वीकृत धनराशि के व्यय का विवरण यथा वित्तीय नियमों के अनुसार शासन/वित्त विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

8. मितव्ययिता के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-795/दस-2014-231/2014, दिनांक 14 मार्च, 2014 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक- 22/07/2014 में दी गयी शर्तों एवं अनुबन्धों का अनुपालन विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। विचलन की स्थिति में वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी जिसके लिए निदेशक तथा मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 उत्तरदायी होंगे।

10. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक- 22/07/2014 में प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित निर्देशों/अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विजय प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

<u>संख्या-35/657(1)/58-2-2014, तद्दिनांक:</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) कार्यालय महालेखाकार लेखा-परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15, थार्न हिल रोड, इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विजय प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in